राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :– 269/2024

1. सत्यनारायण पुत्र काशीराम महाजन निवासी करेड़ा त. करेड़ा जि. प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामगोपाल महाजन नि० करेड़ा त० करेड़ा जि० विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश :: दिनांक 07/01/2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०राज०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम करेड़ा..... पटवार हल्का करेड़ा..... तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या..... आराजी नम्बर 905 के आराजी 3960, खाता संख्या 1886 के आराजी 3957, 4107/1, खाता सं. 1887, के आराजी 3958 खाता से 905 के आराजी 3960 रकबा 0.0126, खाता सं. 1886 के आराजी 3957, 4107/1, किता 02 रकबा 0.2655 है० खाता सं. 1887 आराजी किता 3958 रकबा 0.025 है० ..... हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28/11/2024 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम करेड़ा..... पटवार हल्का करेड़ा..... तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 905 आराजी नम्बर 3960 रकबा 0.0126 है० खाता सं. 1886 के आराजी 3957, 4107/1, किता 02 रकबा 0.2655 है० खाता संख्या 1887 के आराजी 3958 किता 1 रकबा 0.0853 हैक्टर भूमि ..... कुलकिता..... रकबा..... हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक करेड़ा..... को 900/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

संलग्नः– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा